



केंद्रीय विद्यालय संगठन
शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन स्वायत्त संस्थान
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN
Under Ministry of Education, Govt. of India
मुख्यालय, नई दिल्ली / Head quarters, New Delhi
Website: www.kvsangathan.nic.in

Email: adtl.com.admn@kvs.gov.in, Tel: 011- 26855532

18, संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली / 18, Institutional Area, Shaheed Jeet Singh Marg, New Delhi

Comp No.: 25370

दिनांक: 30.04.2026

F.11-Adm1072/20/2024-Admn-I / 312-331

कार्यालय आदेश

माननीय केन्द्रीय शिक्षा मंत्री एवं अध्यक्ष केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा शैक्षिक सत्र 2026-27 से निम्नलिखित स्थान पर नया केन्द्रीय विद्यालय वी.ओ. चिदंबरनार पत्तन प्राधिकरण, जिला थूथुकुडी (पूर्व में तूतीकोरिन), तमिलनाडु (प्रोजेक्ट क्षेत्र) खोलने की संस्वीकृति प्रदान कर दी गई है। नए केन्द्रीय विद्यालय में कक्षा 01 से 05 तक (प्रत्येक कक्षा में एक सेक्शन) खोलने और भविष्य में साध्यता के आधार पर विद्यालय में अन्य कक्षाओं/सेक्शनों में वृद्धि की जा सकेगी:

केन्द्रीय विद्यालय वी.ओ. चिदंबरनार पत्तन प्राधिकरण, हार्बर प्राथमिक विद्यालय परिसर, भारती नगर, हार्बर एस्टेट, जिला थूथुकुडी (पूर्व में तूतीकोरिन), तमिलनाडु-628004

प्रायोजक प्राधिकरण अर्थात् वी.ओ. चिदंबरनार पत्तन प्राधिकरण, तूतीकोरिन निम्नलिखित व्यवस्था करने के लिए उत्तरदायी होंगे:-

1. केन्द्रीय विद्यालय संगठन के विनिर्देशानुसार स्थायी विद्यालय भवन।
2. केन्द्रीय विद्यालय के सभी कर्मचारियों के लिए 100% स्टाफ क्वार्टरों की व्यवस्था।
3. 15% प्रशासनिक ऊपरी खर्च (AOC) एवं भावी विकास के खर्च सहित समस्त आवर्ती और अनावर्ती खर्च।

भविष्य में प्रायोजक प्राधिकरण आवर्ती और अनावर्ती खर्च सम्बन्धी बजट राशि को उपायुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई को अग्रिम किस्त के रूप में जमा करवाएंगे। उदाहरण के तौर पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए पहली किस्त अप्रैल महीने में और दूसरी किस्त अक्टूबर महीने में जमा की जाएगी।

प्रायोजक प्राधिकरण यदि अपने वायदे को पूरा करने में असफल रहते हैं तो केन्द्रीय विद्यालय की कक्षाओं/सेक्शनों की संख्या को कम करने के लिए सक्षम प्राधिकारी, केन्द्रीय विद्यालय संगठन प्राधिकृत होंगे।

इस केन्द्रीय विद्यालय में प्रवेश हेतु प्रोजेक्ट क्षेत्र के अंतर्गत केन्द्रीय विद्यालय के संबंध में केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं और प्रवेश मार्गदर्शिका के अनुसार प्रवेश दिए जाएंगे।

इस विद्यालय में भूमि और अस्थाई भवन से संबन्धित सभी औपचारिकताएँ पूर्ण होने के बाद 30 दिवस के भीतर प्रवेश प्रक्रिया सम्पन्न कर ली जाए।

दीपेश

(दीपेश गहलोत)
अपर आयुक्त (प्रशा.)

वितरण: -

1. निजी सचिव, माननीय शिक्षा मंत्री एवं अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्यालय संगठन।
2. निजी सचिव, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री एवं संयुक्त अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्यालय संगठन।
3. वरिष्ठ पी.पी.एस., सचिव (स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता) शिक्षा मंत्रालय एवं डिप्टी चेरमैन केन्द्रीय विद्यालय संगठन।

4. पी.एस.ओ., संयुक्त सचिव(संस्थान एवं प्रशिक्षण), शिक्षा मंत्रालय एवं उपाध्यक्ष, केन्द्रीय विद्यालय संगठन ।
5. निदेशक(के.वि.स.), शिक्षा मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली ।
6. निजी सचिव, आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली ।
7. सचिव, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के निजी सचिव, प्रीत विहार, दिल्ली ।
8. निजी सचिव, अपर आयुक्त (प्रशा./शैक्षिक) केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मु.) ।
9. संयुक्त आयुक्त (प्रशा./वित्त/प्रशिक्षण/कार्मिक), केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मु.) को सूचनार्थ ।
10. संयुक्त आयुक्त (शैक्षिक) केन्द्रीय विद्यालय संगठन को इस अनुरोध के साथ कि वे नियमानुसार स्टाफ स्वीकृति आदेश जारी करें ।
11. अधीक्षक अभियंता, (कार्य शाखा), केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मु.) नई दिल्ली।
12. सचिव, वी.ओ. चिदंबरनार पत्तन प्राधिकरण, तूतीकोरिन।
13. उपायुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई को इस अनुरोध के साथ कि वे सम्बन्धित प्राधिकारियों से सम्पर्क कर विद्यालय संचालित करें ।
14. उपायुक्त/निदेशक, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, सभी सम्भागीय कार्यालय तथा आंचलिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान ।
15. सहायक आयुक्त (आई.टी.) केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मु.) को केन्द्रीय विद्यालय संगठन की वैबसाइट पर अपलोड करने के लिए ।
16. सहायक आयुक्त (स्था. I/II/III) केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मु.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
17. सभी अधिकारी/अनुभाग, केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मु.), नई दिल्ली ।
18. अध्यक्ष/ सचिव केन्द्रीय विद्यालय संगठन मान्यता प्राप्त स्टाफ संघ।
19. गार्ड फ़ाइल ।



केन्द्रीय विद्यालय संगठन
शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन स्वायत्त संस्थान
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN
Under Ministry of Education, Govt. of India
मुख्यालय, नई दिल्ली / Head quarters, New Delhi
Website: www.kvsangathan.nic.in

Email: adtl.com.admn@kvs.gov.in, Tel: 011- 26855532

18, संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली /18, Institutional Area, Shaheed Jeet Singh Marg, New Delhi

Comp No.: 25370

Date: 30.04.2026

F.11-Adm1072/20/2024-Admn-I / 312-331

OFFICE ORDER

Approval of the Hon'ble Minister of Education-Cum-Chairman, Kendriya Vidyalaya Sangathan, is hereby accorded to open new **Kendriya Vidyalaya V.O. Chidambaranar Port Authority, District Thoothukudi (formerly Tuticorin), Tamil Nadu (under Project Sector)** at the following location with classes I to V (single section in each class) from the academic year 2026-27 with consequential growth based on feasibility:

Kendriya Vidyalaya V.O. Chidambaranar Port Authority, Harbour Primary School complex, Bharathy Nagar, Harbour Estate, District Thoothukudi (formerly Tuticorin), Tamil Nadu -628004

The Project Authority i.e. **V.O. Chidambaranar Port, Tuticorin** will be responsible to provide:-

1. Permanent Vidyalaya building as per the specifications of the Kendriya Vidyalaya Sangathan.
2. 100% staff quarters to all the staff of the Kendriya Vidyalaya.
3. All recurring & non-recurring expenditure including 15% Administrative Overhead Charges (AOC) and also future development expenditure.

The project Authority shall remit the budgeted amount of recurring/non-recurring expenditure in advance installments to the Deputy Commissioner, Kendriya Vidyalaya Sangathan, Regional Office, Chennai i.e. first installment in the month of April and second in the month of October for each financial year.

In case the project authority fails to fulfill their commitment as agreed to as per MoU, the Competent Authority, Kendriya Vidyalaya Sangathan is empowered to reduce the number of classes/sections.

The admission to the Kendriya Vidyalaya will be as per the priorities/admission guidelines prescribed by the Kendriya Vidyalaya Sangathan from time to time for the KVs **under Project Sector**.

The admission process may be completed within 30 days after completion of all pending formalities of land and temporary accommodation, if any.

Deepesh

(Deepesh Gehlot)
Additional Commissioner (Admn)

Distribution: -

1. PS to Hon'ble Minister of Education-cum-Chairman, Kendriya Vidyalaya Sangathan, New Delhi
2. PS to Hon'ble MoS (Education) – cum Joint Chairman, Kendriya Vidyalaya Sangathan.
3. Sr. PPS to Secretary (SE&L), MoE-cum-Deputy Chairperson, Kendriya Vidyalaya Sangathan.

4. PSO to Joint Secretary (Institutions & Trg.), MoE-cum-Vice Chairperson, Kendriya Vidyalaya Sangathan.
5. The Director (Kendriya Vidyalaya Sangathan), MoE, Shastri Bhawan, New Delhi.
6. PS to Commissioner, Kendriya Vidyalaya Sangathan, New Delhi
7. PS to Secretary, Central Board of Secondary Education, Preet Vihar, Delhi.
8. PS to Additional Commissioner (Admn/Acad), Kendriya Vidyalaya Sangathan.
9. Joint Commissioner (Admn/Finance/Training/Pers), Kendriya Vidyalaya Sangathan.
10. The Joint Commissioner (Acad.), Kendriya Vidyalaya Sangathan Hqrs with the request to issue staff sanction order as per rules.
11. Supdt Engineer (Works), Kendriya Vidyalaya Sangathan (HQ), New Delhi.
12. The Secretary, V.O. Chidambaranar Port, Tuticorin.
13. The Deputy Commissioner, Kendriya Vidyalaya Sangathan Regionl Office, Chennai with the request to liaise with the sponsoring authorities to make the Vidyalaya functional.
14. The Deputy Commissioner/Directors, Kendriya Vidyalaya Sangathan, All Regional Offices/ZIETs.
15. The Assistant Commissioner, IT Cell, Kendriya Vidyalaya Sangathan, Hqrs, New Delhi for uploading the order on KVS website.
16. The Assistant Commissioner (Estt.I/ Estt. II/ Estt. III), Kendriya Vidyalaya Sangathan (HQ) for information & necessary action.
17. All Officers/Sections, Kendriya Vidyalaya Sangathan (HQ), New Delhi
18. President/ General Secretary, Kendriya Vidyalaya Sangathan recognized staff Associations.
19. Guard file.